8-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त डिक्री जारी की गई। निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 416/2017

1 बन्दू पुत्र जय सिंह } अकवाम जाट निवासीयान वार्ड नम्बर 09, 5 एस.एस.डब्लयू.
2 विपुल पुत्र जय सिंह } झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज) – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 जय सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 09, 5 एस.एस.डब्लयू. झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 श्रीमान तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
– – प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

### –:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद कुमार डूडी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री गुरमेलसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 2

### –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.08.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी सख्या 1 जय सिंह के नाम चक 5 एस.एस.डब्लयू. पटवार हल्का झाम्बर तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 35/50 के पत्थर नम्बर 169/200 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 2, 3, 4, 10/2, 11, 12, 19 ता 22 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 169/284, मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1, 2/2/.127 हैक्टर कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 2.783 हैक्टर (2.669 हैक्टर नहरी व 0.114 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1, अपनी माता व भाई के सथ बहिस्सा बराबर का खातेदार है। जो कि प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है।

चक 5 एस.एस.डब्लयू. के खाता सख्या 34/35 के पत्थर नम्बर 161/281, मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 24, 25/1/.240, 25/2/.013 हैक्टर एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 162/281, मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 11, 20, 21 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.759 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 29 कुल क्षेत्रफल 7.084 हैक्टर (6.881 हैक्टर नहरी, 0.190 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ (सिचांई) कृषि भूमे में प्रतिवादी सख्या 1, अपने भाई के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार है। जो कि प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। प्रमाणित प्रतिलिपीयाँ जमावन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

प्रतिवादी सख्या 1 जय सिंह दफा 3 वाद पत्र में वर्णित भूमि अपने पास रखकर व दफा 4 वाद पत्र में वर्णित अपने हक व हिस्सा की भूमि अपनी पत्नि व अपने पुत्र बहिस्सा बराबर घराघरू बंटवारा किया हुआ है। वादीगण एंव प्रतिवादी सख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए वादी संख्या 1 ता 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि घराघरू बंटवारे में से वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर वादीगण को सौप दिया है, जो कि दफा 5 में वर्णित है।

वादी संख्या 1 व 2 इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 5 के घराघरू बंटवारा एंव वादीगण के हक व हिस्सा मे प्राप्त भूमि के खातेदार

लगातार ..... 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

काश्तकार है। तिवादी सख्या 2 तहसीलदार को वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, लेकिन उनके विरूद्व किसी प्रकार को कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इन्हे मात्र इस कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एंव डिक्री की पालना सुनिश्चित की जा सके। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वादीगण घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 5 के मुताबिक वादीगण के हक व हिस्सा एंव घराघरू बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 जय सिंह के नाम की दफा 4 वाद पत्र की समस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार वादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमावे।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 03.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जो आपस में पति–पत्नि, माता–पिता, पुत्र बैगराह का सम्बंध है। पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगो को मुकदमेबाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एंव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण का घराघरू बंटवारा की कृषि भूमि निम्न है :–

(क) प्रतिवादी सख्या 1 जय सिंह के नाम चक 5 एस.एस.डब्लयू. पटवार हल्का झाम्बर तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 35/50 के पत्थर नम्बर 169/283, मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 2, 3, 4, 10/2, 11, 12, 19 ता 22 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 169/284, मुरवा नम्बर 38 किला नम्बर 1, 2/2/.127 हैक्टर कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 2.783 हैक्टर (2.669 हैक्टर नहरी व 0.114 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1, अपनी माता व भाई के साथ बहिरसा बराबर का खातेदार है।

(ख) चक 5 एस.एस.डब्लयू. के खाता संख्या 34/35 के पत्थर नम्बर 161/281, मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 24, 25/1/.240, 25/2/.013 हैक्टर एक इसी चक के पत्थर नम्बर 162/221, मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 11, 20, 21 कुल किला 3 कुल क्षेत्रफल 0.753 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 29 कुल क्षेत्रफल 7.084 हैक्टर (6.281 हैक्टर नहरी, 0.190 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ (सिचाई) कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है व प्रतिवादी मद (क) की अपनी भूमि अपनें पास रखकर दफा (1) की

लगातार ..... 3

Scanned by CamScanner

मद (ख) की समस्त भूमि अपने पुत्र व पत्नि को बहिस्सा बराबर बंटवारा देनें में सहमत हुआ है।

पश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 1 की मद संख्या ख में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ़, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दबाव व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा दफा 1 की मद संख्या क के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर नाम दर्ज कर वादीगण का नाम संयुक्त खाता में बहिस्सा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे एंव इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैराकार द्वारा कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

लगातार ..... 4

Scanned by CamScanner

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 5 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 34/35 की 7.084 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह की 1/2 हिस्सा भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## –:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गयें राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 5 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 34/35 की 7.084 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह की 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जय सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 बन्टू पत्नी जयसिंह तथा वादी संख्या 2 विपुल पुत्र जयसिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 08.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

# मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :–** कपिल यादव आर.ए.एस.

**राजस्व वाद संख्या :–** 416/2017

1 बन्टू पत्नि जय सिंह
2 विपुल पुत्र जय सिंह
} अकवाम जाट निवासीयान वार्ड नम्बर 09, 5 एस.एस.डब्लयू. झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज) – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 जय सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 09, 5 एस.एस. डब्लयू. झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 श्रीमान तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
– – प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

**निर्णय दिनांक :– 08.08.2019**

वादीगण की और से श्री विनोद कुमार डूडी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री गुरमेलसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 08.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 5 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 34/35 कि 7.084 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह की 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जय सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 बन्टू पत्नी जयसिंह तथा वादी संख्या 2 विपुल पुत्र जयसिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| वाद पत्र के लिये स्टाम्प | – – | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | |
| शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | – – | अर्जी के लिये | |
| प्रदर्शो के लिये स्टाम्प | | | |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:42:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: